उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 संख्या-13/2019/सा-3-261/दस-2019-301/2000 टी0सी0

लखनऊ : दिनॉ क: 26 मार्च, 2019 कार्यालय-जाप

विषय:-राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-26/2018/सा-3-937/दस-2018-301/2000 टी0सी0 दिनों क 14 नवम्बर, 2018 द्वारा दिनांक 01-07-2018 से महँगाई राहत की दर 07 प्रतिशत से बढ़ाकर 09 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्मत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पंशन/पारिवारिक प्रेशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनों क01 जनवरी, 2019 से महँगाई राहत की 03 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फेशस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर 09 प्रतिशत से बढ़कर दिनों क01 जनवरी, 2019 से 12 प्रतिशत हो जायेगी।

4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जायेगा, जबिक आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

Government of Uttar Pradesh Finance (General) Section-3 No. 13 / 2019-G-3 -261 / X-2019-301/2000 T.C.

Dated: Lucknow: 26 March, 2019

Office - Memorandum

Subject: Grant of dearness relief to State Government's Chil / family pensioners.

Vide Government order No. 26/2018 /SA-3-937/X-2018-301/ 2000 T.C. dated November 14, 2018 the dearness relief admissible to pensioners / family pensioners of the State was increased from 07 percent to 09 percent w.e.f July 01, 2018.

2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more installment of dearness relief of 03 percent w.e.f. January 01, 2019 on the pension/ family pension revised / determined under the provisions of the government orders issued under the recommendations of Uttar Pradesh Pay Committee 2016.

3- As a consequence of the abovementioned 03 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family pension will rise from existing 09 percent to 12 percent with effect from January 01, 2019.

4- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

-2

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.vp.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।



5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग सें आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा चुके हैं।

6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10/3)81, दिनों क 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशान्सार
पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए
महालेखाकार के पाधिकार-पन्न की आवश्यकता नहीं है।
अत: पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालयज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई
राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

8- मॅहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्त एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

> अजय कुमार शुक्ला सचिव, वित्त।

5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect of whom separate orders be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners / family pensioners have already been issued.

6- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

7- As per orders issued in O.M. No. A - 1- 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

8- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

Ajay kumar shukla Secretary, Finance.

--3--

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।